न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./02/2019/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. खरताराम पुत्र चिमाराम	बनाम 1.राणाराम पुत्र नेनाराम
2. राजूराम पुत्र चिमाराम	2.दौलाराम पुत्र केहराराम
3. गीरो पत्नी चिमाराम	3.पुरखाराम पुत्र केहराराम
4. भीखी देवी पत्नी खेमाराम	4.मेमाराम पुत्र केहराराम
5. बागाराम पुत्र राणाराम	5.हीराराम पुत्र केहराराम जाति जाट
6. मगी पत्नी बगताराम	निवासी सिसोदिया पाना तहसील
7. चेतनराम पुत्र बगताराम	गिड़ा जिला बाड़मेर
8. खींयाराम पुत्र कानाराम जाति	6.शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण
जाट निवासीयान सिसोदिया	बैंक परेऊ
पाना गिड़ा तहसील गिड़ा	7.राज.राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा
जिला बाड़मेर	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 163/2016 बअनवान राणाराम वगै. बनाम खरताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2018 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस की खातेदारी का खेत ग्राम मौजा सिसोदिया पाना पटवार क्षेत्र गिड़ा तहसील गिड़ा के खसरा संख्या 33 रकबा 458.08 बीघा का आया हुआ है तथा रेस्पोडेंट ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 26 रकबा 58.04 बीघा मौजा सिसोदिया पाना हल्का पटवार क्षेत्र गिड़ा के खेत तक आने व जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अभ्यर्थना चाही थी कि अपीलांटस के खेत से रास्ता सुलभ करवाया जावे जबकि अपीलांटस के पास इतनी भूमि नहीं है जो रास्ता हेतु दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार से जो मौका रिपोर्ट तलब की गई है उस मौका रिपोर्ट में तहसीलदार ने यह साफ–साफ उल्लेख किया है कि चाहे गये स्थान पर रास्ता न होकर खेतो की मेड़/माठ है जहां से आवागमन संभव नहीं हैं। आवेदक द्वारा वर्तमान में सिसोदिया पाना, गिड़ा सड़क से आवागमन करता है जिसका नक्शा भी संलग्न किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उक्त अपील प्रार्थीगण के संज्ञान में आने के बाद प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें मांगी जो नकलें दिनांक 07.01.2019 को मिलने पर सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों के अनुसार नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिये दो चीजें आवश्यक है, आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 में भी किया गया है जो इस प्रकार से हैः–1.आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं 2. किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में खसरा संख्या 25 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है जबकि खसरा संख्या 25 के खातेदार आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 163/2016 बअनवान राणाराम वगै. बनाम खरताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2018 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वायतु को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 25 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर, तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार खसरा संख्या 33 व खसरा संख्या 25 में से जो लुघतम रास्ता हो उसे स्वीकृत किया जावे। बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.04.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर